न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-246/2006

1- चन्द्राराम पुत्र स्व0 चूनाराम
2- किशनलाल पुत्र चूनाराम
3- भींवराम पुत्र चूनाराम
4- चावलीदेवी बेवा चूनाराम
5- जीवणाराम पुत्र परतूराम
6- पोखरराम पुत्र लिखमाराम
7- सुरेशकुमार पुत्र लिखमाराम
8- मु0 सुवटी बेवा लिखमाराम
9- कानाराम पुत्र मानाराम
10-बद्रीराम पुत्र मानाराम

समस्त जाति माली निवासीगण मालियों की ढाणी तन हर्ष तहसील व जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- माफी मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके दूजोद परपुचल माईनर द्वारा सरंक्षक व पुजारी मु0 पतासी बेवा नारायणदास जाति स्वामी निवासीनी दूजोद तहसील व जिला सीकर (राज0)

2- उप पंजीयक अधिकारी सीकर जिला सीकर ।

3- राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार सीकर ।

---रेस्पोन्डेन्टस--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनाक
30-1-2004 द्वारा सहायक
कलेक्टर सीकर ।

---0=---

उपस्थिति-

1- श्री किशोरसिंह मील एडवोकेट- अपीलान्ट

[illegible]

निर्णय दिनांक- 3.11.2017

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत मे दावा इस्तकरार हक, हुक्म इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राजात का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा हर्ष में आराजी कृषि भूमि खसरा नं0- 364 रकबा 0.96 हैक्टर बजंड अलमशहूर कवोल्या जोहड़ के गत खसरा नम्बर 156 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा है। यह आराजी सदेव से ही वादी के कब्जा काश्त एवं अधिकार में रही है । जिसको वादी ने आस पास के गांव एवं ढाणियों के पशुओं व मवेशियों को चरने एवं पानी पीने के लिये छोड रखी है। जिसमें काफी पेड पौधे लगा रखे हैं ।0 विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । तथा न इन्होने कभी इस भूमि को काश्त किया है। मानाराम एवं स्व0 परताराम ने अवैध तरीके से राजस्व अधिकारियों से षडयन्त्र रचकर पटवारी हल्का से नामा0सं0-16 भरवा कर तस्दीक करवा लिया । जबकि इस आराजी पर मानाराम एवं परताराम का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है । इस आराजी पर मूर्ति मन्दिर नृरसिंह जी का ही रहा है ।नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व वादी को कोई सूचना अथवा नोटिस नही दिया गया ।अपीलान्ट को बिना सूने नामान्तरकरण तस्दीक किया है । जिससे वादी पाबन्द नहीं है । यह सारी कार्यवाही बाला बाला की गई जिसकी जानकारी वादी को नही हुई। वादी को जानकारी होते ही यह दावा किया है। अतः वादी का दावा स्वीकार कर वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावे । तथा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।वादी ने दावे में विवादित आराजी के सभी सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया । जो दावे मे आवश्यक पक्षकार थे । आवश्यक पक्षकार के अभाव मे दावा चलने योग्य ही नहीं था किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई कौर न कर अपना निर्णय दिया है । वादी ने प्रतिवादी के रूप मे रामेश्वर पुत्र गणपतराम जाति सैनी निवासी हर्ष को बनाया है। जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ने तो पहले था और न ही वर्तमान मे ग्राम हर्ष मे है । इसलिय भी वाद को निरस्त किया जाना चाहियेथा । विवादित आराजी पर काबिज व्यक्तियो के नाम पते भी मर्मि मन्दिर नही सही दर्ज नही किये । जीवण के पिता का नाम भी गलत दर्ज किया हे । वादी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ।अदालत मातहत के निर्णय के पांचवी पैरा की पहली लाईन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एकपक्षीय बहस सुनी गई । जबकि निर्णय के पैरा सं0-4 में स्पष्ट रूप से सुरजभानसिंह वकील द्वारा वकालतनामा पेश करने का कथन किया गया है। इसलिए एकपक्षीय बहस सुनने का कोई औचित्य नहीं है।दोनो पक्षो की बहस सुनकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था । एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया जो विधि संगत नहीं है । योग्य अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नही किया कि नामान्तरकरण सं0-16 की अपील ही हो सकती है दावे में शून्य करार नहीं दिया जा सकता ।रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण सं0-16 की आज दिनांक तक कोई अपील नहीं की गई ।नामान्तरकरण को शून्य मानने का कोई आधार नहीं है । वादी ने कब्जे के सम्बन्ध में कोई उद्घोषणा नहीं चाही है । जबकि वादी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है । कब्जे की बिना उद्घोषणा कराये स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकार्ड दुरूस्ती का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता ।अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हुई क्योकि अदालत मातहत ने एकपक्षीय बहस सुनकर आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट सं0-1 द्वारा निर्णय की कार्यवाही करने पर पटवारी द्वारा कब्जे की जांच करने पर अपीलान्ट्स का कब्जा पाया गया तो पटवारी हल्का ने

पूछताछ की तब अपीलान्ट को दिनांक 2-11-2006 को हुई । जिस पर वकील साहब से मिल कर दिनाक 3-11-2006 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 14-11-2006 को मिली जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट को अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-1-2004 को खारिज किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है । रेस्पोडेन्ट मूर्ति मन्दिर का इस आराजी पर न तो कब्जा कभी पहले रहा और न ही आज है । इस आराजी का नामान्तरकरण संख्या-16 दिनांक 28-4-1960 को कब्जा काश्त के आधार पर तस्दीक किया गया है ।इस नामा0 सं0-16 की रेस्पोडेन्ट ने आज दिनांक तक कोई अपील नहीं की है । रेस्पोडेन्ट सं0-1 का कब्जा काश्त नहीं है और बिना कब्जा की उद्घोषणा की रिलीफ चाहे ही स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकार्ड दुरूस्ती का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया । रेस्पोडेन्ट ने विवादित आराजी के सभी सहखातेदारो को पक्षकार तक नही बनाया और एक व्यक्ति रामेश्वर पुत्र गणपत को बनाया है इस नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में न तो पहले था और न वर्तमान मे है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का दावा डिफेक्टीव था जिसे अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध डिक्री करने में कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत में सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला। रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर आदेश पारित किया है । बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये आदेश पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।अपीलान्ट ने यह अपील अपीलान्ट ने विलम्ब से पेश की है। जिसमें विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण दर्ज नहीं किया ।विलम्ब के लिये अपीलान्ट को एक एक दिन का हिसाब देना होगा । केवल यह कहदेने से अपील को अन्दर मियाद नही माना जा सकता कि उसे दिनांक 2-11-2006 को जानकारी हुई और जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की है । अपीलान्ट का कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं है । अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जावे । विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है । विवादित आराजी पर मूर्ति मन्दिर नृसिंहजी का कब्जा काश्त है । विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उस समय रेस्पोडेन्ट के कब्जा काश्त में रही है ।अपीलान्ट के पूर्वज परताराम व मानाराम ने अनैतिक तरीको से इस आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया । नामान्तरकरण संख्या-16 हमे बिना सूचना बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये तस्दीक किया गया है ।जबकि सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में मूर्ति मन्दिर की खुद काश्त में दर्ज रही है । राजस्व अधिकारियो ने बिना कब्जा की जाच किये यह नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जिससे रेस्पोडेन्ट पाबन्द नहीं है । केवल जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 में माना व परता की शिकमी काश्त दर्ज होने से उनके नाम खातेदारी जरिये नामान्तरकरण सं0-16 के की है जो मूर्ति मन्दिर व बिधवाओं पर पूर्व शिकमी काश्तकार के प्रभाव लागू नहीं होते है । विवादित आराजी पर मूर्ति मन्दिर श्री नृसिंहजी का कब्जा काश्त है ।जो गांव ढाणियों के चरने व पानी पीने के लिये काम में आ रही है ।अपीलान्ट का इस आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ।अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट/प्रतिवादी का दिनांक 23-7-2002 को लगभग-7 साल बाद जबाब दावा बन्द किया गया है । प्रकरण में बहस दिनांक 22-7-2003 को सुनी गई है ।तथा निर्णय दिनांक 30-1-2004 को सुनाया गया । दिनांक 23-8-2002 को अपीलांट

के वकील उपस्थित रहे हैं ।इस कारण अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया और निर्णय की कोई जानकारी नहीं रही । अदालत मातहत ने दिनांक 22-7-2003 को बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30-01-2004 को किया है । अदालत मातहत ने निर्णय में भी कोई जल्दबाजी नहीं की है । अब अपीलान्ट का यह कहना की बहस एकपक्षीय सुनी गई है गलत है । जब आप जबाब नहीं दे रहे आपका जबाब बन्द किया गया है उसके 6 माह बाद निर्णय किया है । इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने सुनवाई का अवसर दिये जाने में कोई कसी नहीं रखी । अपीलान्ट ने जानबूझकर समय निकाला है । किन्तु हम अपील का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना उचित एवं विधिक मानते हुये अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हैं तथा विलम्ब को माफ किया जाता है । नकल जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 में खसरा नं0 364 रकबा 0.96 हैक्टर की खातेदारी चुना राम, रामेश्वर, जीवणा पि0 परता, पोखर, सुरेश पुत्र लिखमा, सुवटी बेवा लिखमा हि0 1/2 व माना पि0 बेगा हि0 1/2 माली के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0 2012 से 2015 में ख0नं0 156 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 157/2 मीन रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी पुजारी नारायणदास चेला लालदास कौम स्वामी माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी वाके दूजोद के नाम दर्ज है । ख0नं0 157/2 मी0 21 बीघा 19 बिस्वा माना, परतू पि0 बेगा के नाम दर्ज है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 156 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नं0-364 रकबा 0.96 हैक्टर बने हैं ।नामान्तरकरण संख्या-16 में माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी पुजारी नारायणदास चेला लालदास कौम स्वामी के नाम ख0नं0 157/2 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा व 156 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का धारा-19 आर0टी0ए0 के अन्तर्गत परता, माना पि0 बेगा माली के नाम स्वीकार किया है ।खतौनी जमाबन्दी सं0-1998 में ख0नं0 156 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मन्दिर श्री नृसिंहजी, अहतमाम पुजारी नारायणदास वल्द लालदास स्वामी के नाम दर्ज है । राजस्व रेकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने से

यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व एवं बाद में सम्वत 2012 से 2015 में माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी के नाम दर्ज है । माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी शाश्वत नाबालिग है । जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-19 के प्रभाव लागू नहीं होते है ।मूर्ति मन्दिर की आराजी को यदि कोई काश्त कर भी लेता है तो वह मूर्ति मन्दिर॥ नाबालिग॥की ओर से ही काश्त करने की अवधारणा है। मूर्ति मन्दिर कभी भी काश्त नहीं करता है यह शाश्वत सत्य है। इस कारण नामान्तरकरण सं0-16 जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-19 के तहत भरा गया वह कानून के विपरित भरा गया है । मौखिक साक्ष्य में भी विवादित आरा-जी को माफी मन्दिर की बताया गया है तथा इस आराजी में गांव के पशु चरते हैं तथा पानी पीते है तथा काफी पेड है जिनकी छांया में पशु आराम करते है ।इस प्रकार मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी संरक्षक पुजारी मु0 पतासी बेवा नारायणदास की माफी में दर्ज है । जिसकी खातेदारी अपीलान्ट के पूर्वज परता व माना के नाम दर्ज किया गया जो विधि एवं कानून के विपरित किया गया है । जिसे अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलान्टस् की खातेदारी हटाकर माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी वाके ग्राम दूजोद के नाम दर्ज कर अपीलान्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वह माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी की भूमि में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे । अदालत मातहत का उक्त आदेश उचित एवं विधिक है । जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर, सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-1-2004 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 3.11.2017 को सुनाया गया ।

3/11/17

॥ भूपेन्द्र महरडा ॥

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर0एस0एस0

1- चन्द्राराम पुत्र स्व0 चूनाराम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी तन हर्ष तहसील व जिला सीकर (राज0) आदि । ---अपीलान्टस्---

--बनाम---

1- माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी वाके डूजोद परपुचल मार्डनर द्वारा संरक्षक व पुजारी मु0 पतासी बेवा नारायणदास जाति स्वामी निवासीनी डूजोद तहसील व जिला सीकर (राज0) आदि। --रेस्पोडेन्टस्--

नोट- उनवान संलग्न ।

अपील नम्बर 246 सन् 2006 बनाराजगी डिक्री अदालत सहायक कलेक्टर सीकर

मुकाम - दिनांक 30 माह 01 सन् 2004

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 3-11-2017 हब्स हमारे व हाजिर श्री किशोरसिंह मील मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री प्रदीप जोशी मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-01-2004 यथावत रखा जाता है ।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग .....xxx..... रुपये अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का .....xxx..... रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 3-11-2017 को जारी की गई।

दस्तखत भू-प्रबन्ध अधिकारी
ओहदा - पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	

दस्तखत

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-246/2006

1- चन्द्राराम पुत्र स्व0 चूनाराम	
2- विशनलाल पुत्र चूनाराम	
3- भींवराम पुत्र चूनाराम	
4- चावलीदेवी बेवा चूनाराम	समस्त जाति माली निवासीगण
5- जीवणराम पुत्र परतूराम	मालियो की ढाणी तन
6- पोखरराम पुत्र लिखमाराम	दूर्ध तहसील व जिला सीकर (राज0)
7- सुरेशकुमार पुत्र लिखमाराम	
8- मु0 सुवटी बेवा लिखमाराम	
9- कानाराम पुत्र मानाराम	
10-बद्रीराम पुत्र मानाराम	

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- माफी मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके दूजोद परपुचल मार्फत द्वारा सरक्षक व पुजारी मु0 पतासी बेवा नारायणदास जाति स्वामी निवासीनी दूजोद तहसील व जिला सीकर (राज0)

2- उप पजीयक अधिकारी सीकर जिला सीकर ।

3- राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार सीकर ।

---रेस्पोन्डेन्टस--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनाक
30-1-2004 द्वारा सहायक
कलेक्टर सीकर ।
---0=--

उपस्थित-

1- श्री किशोरसिंह मील एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री प्रदीप जोशी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी